तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	14.12.21
	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप॰। पत्रावली बास्ते हेतु दिनांक 06.1.21 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
6.1.21	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप॰। बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 29.1.21 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
29.1.21	पत्रावली पेश। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रा.का.अ. को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर आ॰ निर्णय किया गया। तहसीलदार को ताईद जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

तहसीलदार खींवसर कि रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्तावित रास्ता से बी की लम्बाई अन्य रास्ता सी से डी की लम्बाई से कम प्रतीत होती है। तथा राजस्व ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3 (52) राज/6/124 दिनांक 14.06.2013 के परिपत्र में ह प्रावधान दिया हुआ है कि खातेदार जिसको जोत तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदारी ी जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है तो उसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी धिनियम की धारा 251 अ में दिया गया है लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी की भूमि ें रास्ते के संबध में ही है। लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार को अपनी जोत में पहुॅचनें े लिए कोई रास्ता नहीं है खातेदार राजकीय भूमि में से होकर अपनी जौत में पहुॅच सकता ै उक्त प्रकरण में भी खातेदार अपनी जोत में आने जाने के लिए गैर मुमकिन मगरा में से ास्ता चाहा गया है। उक्त परिपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया ैर मुमकिन मगरा में से परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में दिया जा सकता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 251 अ को स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

अतः प्रार्थी को मौजा खींवसर के खेत खसरा नबंर 1516 में आवागमन हेतु गैर मुमकिन मगरा संख्या 1521 रकबा 281.12 बीघा में से मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा के अंकित अ से 15 फुट चौड़ा दिये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रास्ते में जाने वाली भूमि की गणना न सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3 (52) राज –6/12/4 दिनांक 013 के अनुसरण में प्रार्थी से उक्त प्रभावित आराजी 13 बिश्वा का ढाई गुना प्रतिकर शुल्क 3,050 रूपये राजकोश में प्रार्थी से जमा करवाई जाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में कर उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु तहसीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक नेक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगी।

नोटः– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो एवं किसी भी बैंक में उक्त खसरा रहन हो तो रहन मुक्त होने के प्रश्चात उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : ..... को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर